बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
(आई.सी.डी.एस. निदेशालय)

वरीय प्रभारी पदाधिकारी
शाखा.........

पत्रांकः– ICDS/40025/11-2013/ 6974 दिनांकः– 18/12/2013

प्रेषक,
राजित पुनहानी, भा.प्र.से.
सचिव।

सेवा में,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी।

विषय :– राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू हो जानेके फलस्वरूप आई.सी.डी.एस. कार्यक्रम के सर्वव्यापीकरण के तहत पूरक पोषाहार लाभान्वितों यथा –6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं के पूर्ण आच्छादन के संबंध में।

प्रसंग :– समाज कल्याण विभाग के पत्र सं0– स0क0–आई.सी.डी.एस.–सां0को0–ए0–84/07–525/को0 दिनांक 10.11.2010

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में कहना है कि आई.सी.डी.एस. कार्यक्रम के पूरक पोषाहार के अंतर्गत प्रासंगिक पत्र का स्मरण किया जाय। ऐसा देखा जा रहा है कि कतिपय ऑगनबाड़ी केन्द्रों पर लाभान्वितों के रूप में बच्चें एवं महिलायें पूरक पोषाहार के लाभ से वंचित रह जाते है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के लागू हो जाने के फलस्वरूप आई.सी.डी.एस. कार्यक्रम के सर्वव्यापीकरण के तहत सभी योग्य (Eligible) लाभान्वितों को पूर्ण रूप से आच्छादित करने की बाध्यता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक ऑगनबाड़ी केन्द्र पर जितने भी योग्य (Eligible) लाभान्वित है, उन्हें आई.सी.डी.एस. कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदत्त सेवाओं का लाभ प्रदान किया जाय।

उपर्युक्त वर्णित परिपेक्ष्य के आलोक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 का प्रकाशित गजट की अनुसूची–2 की धारा–4(a), 5(1) एवं 6 की कंडिका 1, 2, 3 एवं 6 जो आई.सी.डी.एस. से संबंधित है, पत्र के साथ संलग्न करते हुये अनुरोध है कि अपने स्तर से सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारियों एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को इस आशय का निदेश दिया जाय कि प्रत्येक ऑगनबाड़ी केन्द्रों पर आई.सी.डी.एस. कार्यक्रम की सेवाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए जितने भी योग्य (Eligible) लाभान्वित है, उनका पूर्ण आच्छादन (Total Coverage) करते हुए सेवाओं का लाभ दिया जाय। साथ ही यह अक्षरशः सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी स्थिति में ऑगनबाड़ी केन्द्रों पर कोई भी लाभान्वित आई.सी.डी.एस. सेवाओं से वंचित न रहे।

सूची बनाने के क्रम में निम्नलिखित निदेशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जायेगा :–

1. ऑगनबाडी सेविका अपने क्षेत्र में आने वाले लाभुको को सूचीबद्ध करेगी। इसका ध्यान रखा जायेगा कि कोई भी पात्र लाभुक छूटने ना पाये।
2. इस प्रकार से सूचीबद्ध लाभुको की 20 प्रतिशत की संख्या का भौतिक सत्यापन परियोजना में पदस्थापित महिला पर्यवेक्षिका के द्वारा किया जायेगा और तत्संबंधी प्रमाण पत्र भी सूची में अंकित किया जायेगा।
3. प्रत्येक परियोजना के अंतर्गत सूचीबद्ध लाभुकों का कम से कम 3 प्रतिशत लाभुकों का भौतिक सत्यापन परियोजना पदाधिकारी के द्वारा किया जायेगा और उसके संबंध मे प्रमाण पत्र सूची पर अंकित किया जायेगा।

4. जिला प्रोग्राम पदाधिकारी 1 प्रतिशत लाभुकों का सत्यापन करेंगे तथा उससे संबंधित प्रमाण पत्र सूची पर अंकित करेंगे।
5. इस प्रकार से तैयार की गयी सूची संबंधित पंचायत को भेजी जायेगी जो इस पर अपने मंतव्य के साथ एक सप्ताह के अधीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को लौटायेगा।
6. बाल विकास परियोजना पदाधिकारी ऐसे मंतव्य पर आवश्यक कार्रवाई करेगी तथा इसकी सूचना पंचायत को देगी।
7. इस प्रकार से तैयार की गयी सूची अंतिम मानी जायेगी।
8. इस सूची को तैयार करने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर की जाय।

उपरोक्त रूप से प्रमाणित सूची का प्रत्येक परियोजना से केन्द्रवार लाभान्वितों की समेकित संख्यात्मक प्रतिवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र में पत्र निर्गत के एक माह के अंदर निदेशालय को हॉर्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी (Excel) में उपलब्ध कराने हेतु अपने स्तर से जिला प्रोग्राम पदाधिकारी एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को निदेशित करने की कृपा की जाय, ताकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू करने की दिशा में अग्रेतर कर्रवाई की जा सके।

अनु0–यथोपरि।

विश्वासभाजन
[signature] 17.12.13
(राजित पुनहानी)
सचिव

ज्ञापांक 1338-2 दिनांक 21.12.13

प्रतिलिपि- सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि वांछित प्रतिवेदन पन्द्रह दिनों के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

[signature]
जिला प्रोग्राम पदा.
आ।का।आ मधेपुरा

SCHEDULE II

[*See* sections 4(*a*), 5(*1*) and 6]

NUTRITIONAL STANDARDS

Nutritional standards: The nutritional standards for children in the age group of 6 months to 3 years, age group of 3 to 6 years and pregnant and lactating women required to be met by providing "Take Home Rations"[1] or nutritious hot cooked meal or ready to eat meal in accordance with the Integrated Child Development Services Scheme and nutritional standards for children in lower and upper primary classes under the Mid Day Meal Scheme are as follows:

Serial number	Category	Type of meal [2]	Calories (Kcal)	Protein (g)
1	2	3	4	5
1	Children (6 months to 3 years)	Take Home Ration	500	12-15
2.	Children (3 to 6 years)	Morning Snack and Hot Cooked Meal	500	12-15
3.	Children (6 months to 6 years) who are malnourished	Take Home Ration	800	20-25
4.	Lower primary classes	Hot Cooked Meal	450	12
5.	Upper primary classes	Hot Cooked Meal	700	20
6.	Pregnant women and Lactating mothers	Take Home Ration	600	18-20

Note: 1.—Energy Dense Food fortified with micronutrients as per 50 per cent. of Recommended Dietary Allowance.

Note: 2.—The provisions of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) and any other law for the time being in force shall apply to Meals referred to in this Schedule.

NB: Nutritional standards are notified to provide balanced diet and nutritious foods in terms of the calorie counts, protein value and micronutrients specified.